रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022020-216191
CG-DL-E-17022020-216191

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2020/माघ 24, 1941
No. 624] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2020/MAGHA 24, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

का.आ. 683(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट संख्या अभी सौंपी जानी है के किमी 0 किमी से 55 किमी, (बेलगाम-यारागट्टी खंड) (बेलगाम - हंगुंड खंड) (ई.सी.-10) तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौंड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-अभी सौंपी जानी है के किमी 0 किमी से 55 किमी, (बेलगाम-यारागट्टी खंड) (बेलगाम - हंगुंड खंड) (ई.सी.-10) तक की भूमि का अर्जन ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई बगलकोट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या विनिष्ट किया जाना है के कि.मी. 0 से 55 तक	कर्नाटक	बेलगावी	बेलगावी	1 करदीगुड्डी 2 मेराहल 3 मोदगी 4 बालकुंडरी (B.K) 5 बालकुंडरी (K.H) 6 साम्ब्रा (CT) 7 मुतागा
2	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई बगलकोट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या विनिष्ट किया जाना है के कि.मी. 0 से 55 तक	कर्नाटक	बेलगावी	बैलहोंगल	1 हिरेमेले 2 हैंनिकेरी 3 बैरनटी 4 यरगड्डी 5 लक्कुंडी 6 मुरकीभवि
3	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, एनएचएआई बगलकोट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या विनिष्ट किया जाना है के कि.मी. 0 से 55 तक	कर्नाटक	बेलगावी	सवदत्ती	1 यारज़ारवी 2 बुदिगोप्पा 3 रैनापुर 4 अलादकत्ती के.एम. 5 तल्लुर 6 गोन्टमार 7 मुतावद 8 आँचल 9 हरगुप्पा 10 बसरगी [के.एम.] 11 हलाकी

						12 मुर्गोद 13 बसरागी इनाम

[फा. सं. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3a4]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2020

S.O. 683(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 55 of the No. Yet to be Assigned, (Belgaum -Yaragatti section) of (Belgaum - Hungund reach of E.C.-10) for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Yet to be Assigned, from Km. 0 to Km. 55 (Belgaum -Yaragatti section) of (Belgaum - Hungund reach of E.C.-10) in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer, NHAI Bagalkot	0KM To 55KM	KARNATAKA	BELAGAVI	BELAGAVI	1 Karadiguddi 2 Marihal 3 Modge 4 Balekundri (B.K) 5 Balekundri (K.H) 6 Sambra (CT) 7 Mutaga
2	Special Land Acquisition Officer, NHAI Bagalkot	0KM To 55KM	KARNATAKA	BELAGAVI	Bailhongal	1 Hiremele 2 Hannikeri 3 Bairanatti 4 Yaraguddi 5 Lakkundi 6 Murkibhanvi
3	Special Land Acquisition Officer, NHAI Bagalkot	0KM To 55KM	KARNATAKA	BELAGAVI	SAVADATTI	1 Yarazarvi 2 Budigoppa 3 Rainapur 4 Aladakatti K.M 5 Tallur 6 Gontamar 7 Mutawad 8 Inchal 9 Harugoppa

						10 Basargi [K.M.] 11 Halaki 12 Murgod 13 Basaragi Inam

[F. No. NHAI/LA/RO-BNG/KNT/HOSPET/3a4]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.17 13:11:04 +05'30'